सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 267/17 निर्णय दिनांकः– 31–07–2019

1. असकर अली पुत्र खादिम हुसैन जाति मुसलमान निवासी माधोडिग्गी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. बरकत अली पुत्र खादिम हुसैन जाति मुसलमान निवासी माधोडिग्गी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. जोहरा खातुन पुत्री खादिम हुसैन जाति मुसलमान निवासी माधोडिग्गी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
4. नेका खातुन पुत्री खादिम हुसैन जाति मुसलमान निवासी माधोडिग्गी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
5. शौकत अली पुत्र खादिम हुसैन जाति मुसलमान निवासी माधोडिग्गी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 04–11–1993
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 04–11–1993 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

Scanned by CamScanner

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा तहसील खाजुवाला के चक 28 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 127/26, 127/27 की भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मुरब्बा नम्बर उक्त चक में स्थित नहीं है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जॉच नहीं की गई। जबकि अपीलांट्स की माता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की संधारित पत्रावली में मुरब्बा नम्बर 127/26 व 127/27 के बारे में सही है का अंकन है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नहीं किया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट् ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

इसप्रकार अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–11–1993 के विरूद्व अपील दिनांक 28–07–17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा

Scanned by CamScanner

अपीलांट का प्रार्थना पत्र वांछित भूमि उक्त चक में नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–11–1993 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 28–07–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट की पीठ पीछे सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अपीलांट्स ग्रामीण पृष्ठ भूमि के काश्तकार व्यक्ति है जिनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती व न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखें। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलांट असगर अली द्वारा दिनांक 31–07–1992 को चक 28 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 127/26 व 127/27 के आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त आवेदन को रिकार्ड पर लिया गया तथा प्राथमिक जॉच के बाद 500/– रूपये अरनेस्ट मनी जमा करवाने के आदेश दिये गये। पत्रावली के मुखपृष्ठ पर मुरब्बा नम्बर 127/26 व 127/27 पर "सही है" की टिप्पणी अंकित की गई। उसके नीचे पूर्व में आवंटित की टिप्पणी लिखकर कांट छांट की गई।

तत्पश्चात् दिनांक 04–11–1993 प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया तथा आवेदित मुरब्बा की संख्या की भूमि इस चक में नहीं पड़ती है की टिप्पणी लिखकर आवेदन खारिज कर

Scanned by CamScanner

दिया गया। उक्त कार्यवाही से आवेदक को सूचित नहीं किया तथा न ही आवंटन सलाहकार समिति में रखने से पूर्व मुरब्बा नम्बर की जॉच की गई। आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन अधिकारी का दायित्व था कि सलाहकार समिति में रखने से पूर्व आवेदन की भलींभांति जॉ करते तथा किसी प्रकार की त्रूटि होने पर दुरूस्ती हेतु आवेदक को सूचित करते। आवंटन अधिकारी ने केवल आवेदक को आवंटन से वंचित रखने के लिये एकतरफा कार्यवाही की है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 04–11–1993 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner